न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 53/2021

1. पालाराम पुत्र बिरनाराम जाति कुम्हार निवासी उत्तरादाबास त0 भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. नरसीराम पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी उत्तरादाबास त0 भादरा।
2. कन्हैयालाल पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी उत्तरादाबास त0 भादरा।
3. शिवकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति खाती निवासी उत्तरादाबास त0 भादरा।
4. नरेन्द्र पुत्र नरसीराम जाति खाती निवासी उत्तरादाबास त0 भादरा।

– अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठिया- **प्रार्थी**

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी- **अप्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 12-10-2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 212/187 के खसरा सं0 30 की 0.8730है0, खसरा सं0 30/4 की 0.3780है0, खसरा सं0 35/1 की 0.7710है0 कुल 2.0220है0 कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी ने अपने खेत में मूंग व ग्वार की फसल काश्त कर रखी है जो करीब 3–4 ईंच की है प्रार्थी के खेत में से राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है ना ही प्रार्थी के खेत में से कोई पगडंडी या रास्ता पुराने समय से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि भूमिमें से जबरदस्ती ताकत के बल पर रास्ता कायम करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी के खेत में से आवागमन नहीं किया। अप्रार्थीगण के खेत में दूसरी तरफ राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है जो उनके खेत तक जातो है। अप्रार्थीगण हमेशा से ही उक्त दूसरे रास्ते से अपने खेत में आवागमन करते है।

प्रार्थी द्वारा अपने खेत में बाई मूंग व ग्वार की फसल को संभालने के लिए अपने खेत में गया तो अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर प्रार्थी के खेत में मूंग की फसल में जबरदस्ती ताकत के बल पर प्रार्थी के खेत में मूंग की फसल में से जबरदस्ती घूसकर अपने खेत में जा रहे थे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि हम अपने खेत में इसी नये रास्ता से आना जाना करेंगे। प्रार्थी ने मना किया कि आपका तो दूसरी तरफ रास्ता है और रिकार्ड में मेरे खेत में कोई रास्ता नहीं है तो आप मेरे खेत से मेरी फसल नष्ट कर नहीं जा सकते तो अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि हम तो यही से रास्ता बनाकर आवागमन करेंगे। यदि अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर प्रार्थी के खेत में घूसकर प्रार्थी की फसल नष्ट कर देते है और जबरदस्ती रास्ता कायम कर लेते है तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा [illegible] से नहीं होगी। अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि राजस्व रि[illegible] दर्ज करवाये [illegible] खेत में से कोई रास्ता कायम करे तथा प्र[illegible]थीअप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible]कर अप्रार्थीगण को जरि[illegible] नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी का पहले एक ही खेत हुआ करता था प्रार्थी ने ही अपने खेत का भाग अप्रार्थीगण को विक्रय किया था। अप्रार्थीगण उक्त भूमि खरीद करने की दिनांक से लगातार प्रार्थी के खेत में से बने रास्ता से होकर ही अपनी खातेदारी में आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपने दावे एवं दरख्वास्त में प्रार्थी के

Scanned with CamScanner

द्वारा अप्रार्थीगण को अपने खेत का भाग ही विक्रय करने एवं अप्रार्थीगण के द्वारा सदामत से प्रार्थी के खेत में से ही आवागमन करते आने के कथन जानबूझकर छुपायें हैं जब प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के भाग को विक्रय किया है तो उस स्थिति में अपने द्वारा विक्रय किये गये भाग में आवागमन के लिए रास्ता दिये जाने का दायित्व प्रार्थी का ही बनता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी गांव उत्तरादाबास से दक्षिण की तरफ एवं भादरा राजगढ से रोड से पश्चिम तरफ स्थित है उक्त खातेदारी में गांव उत्तरादाबास से जाने वाला रास्ता है वहीं से होकर अप्रार्थीगण व प्रार्थी आवागमन करते आ रहा है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी में सदामत से चल रहे रास्ता को किसी प्रकार से अवरूद्व नहीं करें। तथा प्रार्थी के खेत में से अप्रार्थीगण के आवागमन के लिए बने रास्ता में प्रार्थी किसी भी प्रकार की रूकावत पैदा नहीं करें। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में से फसल नष्ट नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये बिना रास्ता कायम नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी का पहले एक ही खेत हुआ करता था प्रार्थी ने ही अपने खेत का भाग अप्रार्थीगण को विक्रय किया था। अप्रार्थीगण उक्त भूमि खरीद करने की दिनांक से लगातार प्रार्थी के खेत में से बने रास्ता से होकर ही अपनी खातेदारी में आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपने दावा एवं दरख्वास्त में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को अपने खेत का भाग ही विक्रय करने एवं अप्रार्थीगण के द्वारा सदामत से प्रार्थी के खेत में से ही आवागमन करते आने के कथन जानबूझकर छुपायें हैं जब प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के भाग को विक्रय किया है तो उस स्थिति में अपने द्वारा विक्रय किये गये भाग में आवागमन के लिए रास्ता दिये जाने का दायित्व प्रार्थी का ही बनता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी गांव उत्तरादाबास से दक्षिण की तरफ एवं भादरा राजगढ से रोड से पश्चिम तरफ स्थित है उक्त खातेदारी में गांव उत्तरादाबास से जाने वाला रास्ता है वहीं से होकर अप्रार्थीगण व प्रार्थी आवागमन करते आ रहा है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी में सदामत से चल रहे रास्ता को किसी प्रकार से अवरूद्व नहीं करें। तथा प्रार्थी के खेत में से अप्रार्थीगण के आवागमन के लिए बने रास्ता में प्रार्थी किसी भी प्रकार की रूकावत पैदा नहीं करें। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे। इस हेतु सह खातेदारों के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन करवाया गया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वाद भूमि का खातेदार है जिसमें मूंग व ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। जिससे अप्रार्थी[illegible] फसलों का नापूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। अप्रार्थीगण ने अपना हक व [illegible] में प्रार्थी से ही खरीद किया व खाता लगान अलग अलग कायम [illegible] से लेकर वाद पेश होने तक अपने हक व हिस्सा [illegible] से चले आ रहे रास्ता से आवागमन था। अब यदि प्रा[illegible] रूकावट अथवा व्याधान उत्पन्न किया जाता है तो अप्रार्थीगण के खेत में खडी फसल को भी [illegible] पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:27 IST
Reason: SelfAttested

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी

Scanned with CamScanner

के पक्ष में आंशिक साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थीगण ने यह प्रस्तुत नहीं किया कि उक्त आराजी में से रास्ता पूर्व में स्वीकृत है। अप्रार्थीगण द्वारा सदामत से चले आ रहे रास्ते के अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी से प्रार्थी की खडी फसल में नुकसान होने से प्रार्थी को असुविधा होगी। व अप्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में फसलों की कटाई व कढाई के समय प्रवेश नहीं करने पर भी अप्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना होगा। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में आंशिक साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थीगण के पक्ष में आशिक साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों सायल के पक्ष में आशिक साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम है यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने व प्रार्थी के हिस्से के किसी भी भाग में प्रवेश करने पर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। तथा इसी प्रकार अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा अपने खेत में प्रवेश करने से वंचित किया जाता है तो अप्रार्थीगण की पक्की हुई फसलो को ना निकालने पर भारी नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामल, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है। तथा अप्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में प्रवेश हेतु प्रार्थी द्वारा सदामत से चले आ रहे रास्ते में किसी भी प्रकार का रूकावट या व्याधान प्रकट ना करें तथा अप्रार्थीगण को अपने खेत में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के क्षेत्राधिकार में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृत कराने हेतु हिदायत दी जाती है। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पडे।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 06.07.2021 को इस हक तक अपास्त किया जाता है कि अप्रार्थीगण को पूर्व में सदामत से चले आ रहे अस्थाई रास्ते से अपने खेत में प्रवेश करने हेतु प्रार्थी कोई रूकावट या व्याधान उत्पन्न नहीं करें जिससे अप्रार्थीगण को कोई भारी ना हो व अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 212/187 के खसरा सं0 30 की 0.8730है0, खसरा सं0 30/4 की 0.3780है0, खसरा सं0 35/1 की 0.7710है0 कुल 2.0220है0 कृषि भूमि के अन्य किसी भी हिस्से में नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाये बिना वादभूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें व ना ही अपने आदमियो से करावें। अप्रार्थीगण को अपने खेत में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा के क्षेत्राधिकार में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृत कराने हेतु हिदायत दी जाती है। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पडे।

निर्णय आज दिनांक 12-10-2021 द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:27 IST
Reason: SelfAttested

(शकन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner